



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102020-222751
CG-DL-E-26102020-222751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3383]
No. 3383]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 26, 2020/ कार्तिक 4, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/ KARTIKA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3815(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पूर्ववर्ती जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 78 (अ), तारीख 04 फरवरी, 1999 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-19) के 0000 कि.मी. से 334.00 कि.मी. (कानपुर से वाराणसी सेक्शन) तक के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं. का.आ. 420 (अ) दिनांक 21 फरवरी 2013 और का.आ. 896 (अ) दिनांक 26 मार्च 2014 के अधिक्रमण में, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 (पुराना रा.मार्ग-2) के हांडिया-राजतालाब सेक्शन के छह लेन के प्रयोग के लिए डिज़ाइन 712.900 कि.मी. से 785.544 कि.मी. (विद्यमान 713.215 कि.मी. से 785.859 कि.मी.) तक सड़क खंड की निवल लंबाई 63.465 कि.मी. और 91.790 किमी (जिनकी अवसंरचना लंबाई 9.179 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100 % की दर से सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाल)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध और संदेय होगा:

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में लालानगर गांव के निकट रारा-19 (पुराना रारा-2) के चैनेज 746.760 कि.मी (बाएं तरफ) /747.065कि.मी. (दाहिनी तरफ) पर	63.465 (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड से अधिक) तथा संरचना की लंबाई को छोड़ कर (60 मी. से अधिक)	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित चार या अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध और संदेय होगा:

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित संरचना की लम्बाई * (किमी में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में लालानगर गांव के निकट रारा-19 (पुराना रारा-2) के चैनेज 746.760 कि.मी (बाएं तरफ) /747.065कि.मी. (दाहिनी तरफ) पर	9.179 [^]	91.790	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित चार या अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%

^6 लेन की संरचनाओं का विवरण निम्नानुसार है

क्रम संख्या	(चैनेज)		संरचना का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	713.396कि.मी.	715.799 कि.मी.	एलिवेटिड संरचना	2.403
2	722.089कि.मी	723.843 कि.मी	एलिवेटिड संरचना	1.754
3.	725.648 कि.मी	727.137 कि.मी	एलिवेटिड संरचना	1.489
4.	740.291 कि.मी	742.409 कि.मी	एलिवेटिड संरचना	2.118
5.	776.084कि.मी	777.379 कि.मी	एलिवेटिड संरचना	1.295
6.	784.235 कि.मी	784.355 कि.मी	ग्रेड सेपरेटर	0.120
कुल				9.179

- 3 जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00/- रूपए (दो सौ पचहत्तर रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

तालिका-4		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को रारा शुल्क नियम 2008 के नियम 10 के उप नियम (1ए) के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5

के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2787.54 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[भाराराप्रा/13013/सीओ/20-21/जीसी-हांडियावाराणसीसेक्शन(712.900-785.544) पीएफ]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2020

S.O. 3815(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport number S.O. 78(E) dated 04th February, 1999 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 0.000 to Km 334.00 (Kanpur to Varanasi Section) of Old NH-2 (New NH-19) In the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “rules”), and in supersession of the notification bearing No S.O. 420(E) dated 21st February, 2013 and S.O. 896(E) dated 26th March 2014, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 63.465 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 91.790 km (having structure length 9.179 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Six lane of Handia – Rajatalab Section from design Km 712.900 to Km 785.544 (existing km 713.215 to km 785.859) of National Highway number 19 (old NH-2) in the State of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Ch. Km 746.760 (LHS)/ Km 747.065 (RHS) of NH-19 (old NH-2) near Village Lalanagar in Bhadohi District of State Uttar Pradesh	63.465 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Ch. Km 746.760 (LHS)/ Km 747.065 (RHS) of NH-19 (old NH-2) near Village Lalanagar in Bhadohi District of State Uttar Pradesh	9.179 [^]	91.790	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details of 6 lane structure are as under: -

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	Km 713.396	Km 715.799	Elevated Structure	2.403
2	Km 722.089	Km 723.843	Elevated Structure	1.754
3	Km 725.648	Km 727.137	Elevated Structure	1.489
4	Km 740.291	Km 742.409	Elevated Structure	2.118
5	Km 776.084	Km 777.379	Elevated Structure	1.295
6	Km 784.235	Km 784.355	Grade Separator	0.120
Total				9.179

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 275 (Two hundred And Seventy Five Only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 2787.54 crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[NHAI/13013/CO/20-21/GC-HandiaVaranasiSection(712.900-785.544)PF]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.